

# राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग

क्रमांक: एफ.1(62)III/बी/निर्वा/57/

जयपुर, दिनांक :-

## कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2018 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग के पत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु-3/2020 दिनांक 16 मई, 2020 के द्वारा विभाग में आवंटित किये गये निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग (रूल्स डिबीजन) की अधिसूचना एफ 15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स, 2017 के नियम 16 के शिड्यूल-IV के तहत पे-मैट्रिक्स लेवल-5 में नियत पारिश्रमिक राशि रूपये 14,600/- प्रतिमाह (अक्षरे राशि रूपये चौदह हजार छः सौ मात्र) प्रदत्त करते हुए दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में कार्यभार सम्भालने की तिथि से अधोलिखित शर्तों पर कनिष्ठ सहायक के पद पर एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं.	मैरिट क्र०/ शैल नंबर	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम /वर्ग	जन्म दिनांक	अभ्यर्थी का पता
1.	5630/2367836	श्री शशिकान्त अंकुर पुत्र श्री शिम्भू दयाल अंकुर (अनुसूचित जाति)	08.09.1999	ग्राम पोस्ट किशोरपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान पिनकोड 332701
2.	6659/2176033	श्री सचिन कुमार मीणा पुत्र श्री मनोहर लाल मीणा (अनुसूचित जनजाति)	20.01.1996	ग्राम पोस्ट मोरीजा, तहसील चौमू, जिला जयपुर राजस्थान पिनकोड 303805

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगी:-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। अस्थायी सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
2. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्य ग्रहण करने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर दें कि वे कब तक कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प्र./सामान्य अवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प० 11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्यअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अधधीन पूर्णतया अस्थायी रूप से रहेगी।



5. परीवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षा काल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो, में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
7. दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में संतोष जनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे मैट्रिक्स के लेवल - 5 के सैल नंबर 1 में नियमानुसार वेतन व उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2018 में इस विभाग हेतु योग्यता सूची के अनुसार उपरोक्त योग्यता क्रम में रहेगी।
9. जन्म तारीख राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को परीक्षा हेतु प्रेषित फार्म जिसे बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया है, में उल्लेखानुसार एवं सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है, जो अपरिवर्तनीय होगी।
10. नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार रहेगी।
11. परीवीक्षा अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
12. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
13. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
14. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम अनुभाग) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना संख्या एफ 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/रूल्स/03 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियम पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा- मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा।
15. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
16. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/- मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किए गए प्रमाण पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाए जाने पर विभाग द्वारा इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
17. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
18. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
19. उक्त नियुक्ति पर वित्त विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.6(4)वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम 1970 के प्रावधान लागू नहीं होंगे एवं वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.6(5)वित्त/नियम/99 दिनांक 27.04.2004 के अनुसार मेडिकलेम बीमा योजना लागू होगी।

20. परीक्षा अवधि में राज्य बीमा की कटौती नहीं की जावेगी।  
21. परीक्षा अवधि में प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलैण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।

**दे**  
(कृष्ण कुणाल)  
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.1(62)आ/बी/निर्वा/57/2237 जयपुर, दिनांक :- 29.06.2020  
प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय निर्वाचन मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज0 जयपुर।
3. अति0 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज0 जयपुर।
4. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग के पत्र प.1(1)प्र.सु./अनु-3/2020 दिनांक 16 मई, 2020 के क्रम में।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर।
6. लेखा शाखा, (बजट/भुगतान) निर्वाचन विभाग, राज0 जयपुर।
7. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.) उक्त कार्यालय आदेश को विभागीय वेबसाईट को अपलोड करावे।
8. श्री शशिकान्त अंकुर पुत्र श्री शिम्भू दयाल अंकुर ग्राम पोस्ट किशोरपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान पिनकोड 332701
9. श्री सचिन कुमार गौणा पुत्र श्री मनोहर लाल गौणा ग्राम पोस्ट मोरीजा, तहसील चौमू, जिला जयपुर राजस्थान पिनकोड 303805
10. संबंधित की निजी/रक्षित पत्रावली।

**संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,**  
राजस्थान, जयपुर